

02.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कार्यवाही नही कि जा रही है प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व पेशी 03.02.2023 को वास्ते तलबी हिदायत दी गई थी। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


01/12/24